रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 926] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2005/भाद्र 11, 1927
No. 926] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2005/BHADRA 11, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2005

का.आ. 1228(अ).—जबकि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 63 की उप-धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1099(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 2001 जारी किया था जिसके तहत् उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की परिसम्पत्तियों, देयताओं, अधिकारों और जिम्मेवारियों को अनंतिम रूप से उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तरांचल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की परिसम्पत्तियों, देयताओं, अधिकारों और जिम्मेवारियों को उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. के बीच विभाजित कर दिया गया था—

और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तरांचल सरकार ने निम्नलिखित दो मामले केन्द्र सरकार को भेजे हैं :

(i) मनेरी भाली चरण-2 जल-विद्युत परियोजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से लिये ऋण का आवंटन; और

(ii) उत्तरांचल के जेनरेटिंग स्टेशनों में अधिशेष विद्युत की उत्तर प्रदेश को बिक्री।

अब इन मामलों पर दोनों राज्य सरकारों के मतों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्र सरकार निम्नलिखित आदेश देती है :—

(i) उत्तरांचल को आवंटित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मनेरी भाली चरण-2 जल विद्युत परियोजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गए ऋण में 352.59 करोड़ रुपए की आंशकि देयता उत्तरांचल को हस्तांतरित की जाती है; और

(ii) विद्युत मंत्रालय के दिनांक 5 नवम्बर, 2001 के आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल के राज्य क्षेत्र स्टेशनों द्वारा उत्पादित अधिशेष विद्युत की बिक्री के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और उत्तरवर्ती राज्य को ऐसे स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है।

यह आदेश प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[सं. 42/7/2000-आर एण्ड आर (वॉल्यूम-III)]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2005

S.O. 1228(E).—Whereas the Government of India in exercise of powers conferred upon it by clause (a) of Sub-section (4) of Section 63 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 had issued S.O. 1099(E) dated 5th November, 2001 provisionally dividing the assets, liabilities, rights and undertakings of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited between Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttaranchal Power Corporation Limited and that of Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited between Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited;

And whereas Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal have referred following two issues to the Union Government :

(i) Allocation of Loan taken from Life Insurance Corporation of India for Maneri Bhali Stage-II Hydro-Electric Project (HEP); and

(ii) Sale of surplus power from Generating Stations of Uttaranchal to Uttar Pradesh.

Now, after considering the views of two State Governments on these issues the Central Government makes the following orders :—

(i) Liability of part of Life Insurance Corporation loan to the tune of Rs. 352.59 crores taken for Maneri Bhali Stage-II Hydro Electric Project is allocated to Uttaranchal against the Hydro Electric Projects allocated to Uttaranchal; and

(ii) The provision of sale of surplus power from state sector stations of Uttaranchal to Uttar Pradesh as contained in paragraph 3 of the Ministry of Power order dated 5th November, 2001 is not extended further and the successor state is given full rights over the electricity generated from such stations.

This order shall come into effect from the date of publication.

[No. 42/7/2000-R&R (Vol.-III)]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.